न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम सुख गुर्जर **RAS**

राजस्व वाद संख्या 50 / 2016

वादी

1. नोरतसिंह पुत्र बजरंगसिंह उम्र 24 वर्ष
2. प्रेमकंवर पत्नी बजरंगसिंह उम्र 24 वर्ष
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र अनोपसिंह उम्र 24 वर्ष
4. लाड कंवर पत्नी अनोपसिंह उम्र 24 वर्ष जाति राजपूत निवासी रसाल तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गटू कंवर पुत्री बजरंगसिंह
2. गुलाब कंवर पुत्री बजरंगसिंह
3. कंचन कंवर पुत्री बजरंगसिंह
4. बसु कंवर पुत्री बजरंगसिंह
5. सन्तोष कंवर पुत्री अनोपिसिंह
6. कैलाश कंवर पुत्री अनोपसिंह
7. घनश्यामसिंह पुत्र लादूसिंह
8. नरेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह
9. नरपतसिंह पुत्र प्रेमसिंह
10. नन्दूसिंह पुत्र प्रेमसिंह
11. ओमसिंह पुत्र प्रेमसिंह
12. आनन्दसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह
13. अंजु कंवर पुत्री सुरेन्द्रसिंह
14. ओम कंवर पत्नी सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासीगण रसाल तहसील कुचामनसिटी
15. मैनेजर ओरिन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कुचामनसिटी
16. उप पंजीयक कुचामनसिटी
17. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा :–इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञाद बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

श्री विजयसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 से 14 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 31/05/2017

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 14 एक ही खानदान के सदस्य है, जो स्व. बलदेवसिंह के वंशज है जिनका सरजा खानदान निम्न प्रकार से है :–

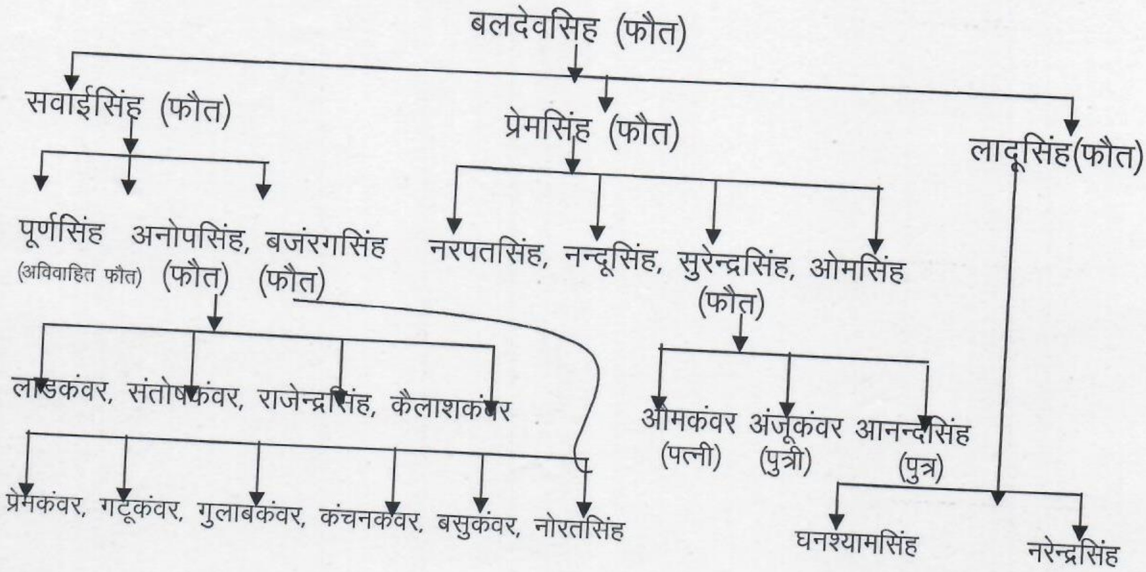

ग्राम रसाल तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 100 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 रकबा 1.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 103 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.91 हैक्टर कुल रकबा 8.22 हैक्टर स्थित चली आ रही है जिसमे से 1/2 हिस्सा भूमि स्व. बलदेवसिंह के नाम दर्ज रही है। उक्त भूमि बलदेवसिंह जी के जागीर वक्त से ही कब्जा काश्त में चली आई थी। उनके तीन पुत्र जरिए उत्तराधिकारी सवाईसिंह जी, लादूसिंह जी , बजरंगसिंह जी, अनोपसिंह जी व पूर्णसिंह जी अविवाहित फौत हो गये। बजरंगसिंह के स्वर्गवास हो जाने पर जरिए उत्तराधिकारी वादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व अनोपसिंह जी के फौत हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी वारिस वादी संख्या 3 व 4 तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 रहे एवं प्रतिवादी संख्या 7, 8 व प्रेमसिंह के स्वर्गवास हो जाने पर उनके स्थान पर जरिए उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 7, व व प्रेमसिंह के स्वर्गवास हो जाने पर उनके स्थान पर जरिए उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 हुए है, परन्तु यह उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिताजी व दादाजी का नाम खातेदारी में दर्ज होने से छूट गया व प्रतिवादी संख्या 7 ता 14 के पिताजी व दादाजी लादूसिंह प्रेमसिंह के नाम दर्ज हो गई, जबकि उक्त भूमि पर वादीगण के दादाजी व पिताजी सवाईसिंह व उनके स्वर्गवास हो जाने पर वादीगण जरिये उत्तराधिकारी काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण के पिताजी दादाजी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के पिताजी दादाजी के संयुक्त हिस्सेदारी की काबिज चली आ रही है उसमे वादीगण 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7, 8 व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 अपने अपने हक–हिस्से पर काबिज चले आ रहे है, इसी अनुसार मौके पर भू–विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

करके उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। अभी कुछ दिनो पहले वादीगण ने पटवारी हल्का से नकल खतौनी चाही तो उन्होने वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नही होने की जानकारी दी। तब नकल खतौनी प्राप्त कर अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो इन सबकी जानकारी हुई जबकि वादीगण अपनी पैतृक भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के हकदार है इसलिए यह खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है तथा वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा का लाना आवश्यक हुआ है। वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम रसाल तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 100 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 रकबा 1.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 103 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.91 हैक्टर कुल रकबा 8.22 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 1/2 हिस्से मे 1/3 हिस्सा का वादी संख्या 1 से 4 , 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7, 8 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 के नाम खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 14 ने वाद स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 15, 16, 17 बावजूद इतला के अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण 1 से 14 ने वाद को स्वीकार करते हुए वादीगण की इस्तदुआ अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। वादीगण द्वारा नकल खतौनी ग्राम रसाल सम्वत 2071–2075 की प्रस्तुत की ।

जमाबन्दी नकल ग्राम रसाल सम्वत 2071–2074 अनुसार

खा. सं. नया	खा. सं. पुराना	काश्तकार का नाम/पिता कानाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
22	21	उच्छब कंवर कमोदकंवर पुत्रिया नारायणसिंह शिवराजसिंह रघुवीरसिंह पि. नारायणसिंह दीनसिंह गोद पुत्र सोहनकंवर पत्नी गंगासिंह छितरसिंह पुत्र तख्तसिंह प्रहलादसिंह पुत्र पेफसिंह मोहनसिंह हजारीसिंह गणपतसिंह पि. रामसिंह रूप कंवर पत्नी कल्याणसिंह श्यामसिंह पुत्र कल्याणसिंह सुमेरसिंह दीनसिंह रिछपलासिंह पि. धोंकलसिंह जाति राजपूत 1/2 नरपतसिंह नन्दूसिंह सुरेन्द्रसिंह ओमसिंह पि. प्रेमसिंह घीसूसिंह नरेन्द्रसिंह पि. लादूसिंह 1/2 जाति राजपूत सा.देह खातेदार ना.सं.868	99 100 101 102 103 106 107 योग	0.67 0.67 0.78 1.79 2.47 0.93 0.91 8.22	बारानी I बारानी I बारानी I बारानी I बारानी I बारानी I बारानी I बारानी I
		नामा.सं.974 दि.5.12.14 (विरासत) के द्वारा सुरेन्द्रसिंह पुत्र प्रेमसिंह के स्थान पर औमकंवर पत्नी सुरेन्द्रसिंह आनन्दसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह अन्जूकंवर पुत्री सुरेन्द्रसिह का नाम दर्ज किया गया। ना.सं. 1012/19.5.15 (रिकार्ड दुरूस्ति) के द्वारा घीसूसिंह पुत्र लादूसिंह के स्थान पर घनश्यामसिंह पुत्र लादूसिंह दर्ज किया गया। ना.सं. 1026/06.07.15 (रहननामा) के द्वारा नरेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह का हि.राहिन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कुचामनसिटी के मूर्तहीन।			

प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा पक्षकारान को कैम्प कोर्ट रसाल में मजमे आम में सुना गया। उपरोक्तानुसार पक्षकारान के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

है, प्रश्नगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है तथा वादी एवं प्रतिवादी 1 से 14 एक ही परिवार के सदस्य है तथा बलदेवसिंह के वंशज है। जमाबंदी मुताबिक प्रश्नगत भूमि केवल प्रेमसिंह एवं लादूसिंह के वंशज के नाम दर्ज रही है जबकि उक्त भूमि मे वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण का भी हक हिस्सा है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अन्य का कब्जा काश्त चला आ रही है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा से होती है तथा प्रतिवादी संख्या 7 से 14 जिनके नाम भूमि आज दिन दर्ज चली आ रही है उन्होने भी जरिये इकबाली जवाब सहमति प्रदान की है। प्रतिवादीगण 1 से 6, वादीगण के परिवारिक सदस्य है जिन्होने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ा है। वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान के पूर्वजो को 8.22 हैक्टर में 1/2 हिस्सा अन्य खातेदार के साथ संयुक्त रूप से दर्ज चला आया है। अपना हिस्सा पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 14 सुविधा अनुसार अलग अलग कराकर खातेदार दर्ज कराना चाहते है। प्रतिवादी नरेन्द्रसिंह का हक हिस्सा ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कुचामनसिटी के नाम रहन दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से वादीगण का वाद काबिल डिक्री योग्य होने से निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम रसाल के खसरा नम्बर 99 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 100 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 102 रकबा 1.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 103 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 106 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.91 हैक्टर कुल रकबा 8.22 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में **(नरपतसिंह नन्दूसिंह ओमसिंह पि. प्रेमसिंह औमकंवर पत्नी सुरेन्द्रसिंह आनन्दसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह अन्जूकंवर पुत्री सुरेन्द्रसिह घनश्यामसिंह नरेन्द्रसिंह पि. लादूसिंह १/२ जाति राजपूत सा.देह खातेदार) अर्थात** 1/2 हिस्सा में 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 से 4, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7, 8 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष 1/2 अन्य खातेदारान का हिस्सा यथावत रहेगा। नरेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह का हिस्सा ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कुचामनसिटी के रहन दर्ज होने से खाता रहनमुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहसरी जारी हो।डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 31/05/2017 को सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)